उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 245वीं बैठक
दिनांक 14 मई , 2018 का कार्यवृत्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 245वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई , जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :—

1—	श्री नितिन रमेश गोकर्ण	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2—	श्री धीरज साहू	आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3—	श्रीमती नीलम	उप आवास आयुक्त एवं सचिव, आ0वि0प0	सचिव
4—	श्री मो0 सलीम अहमद	मुख्य अभियंता, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5—	श्री डी.सी.गुप्ता	वरिष्ठ नियोजक, प्रतिनिधि सी0टी0सी0पी0, उ0प्र0	सदस्य
6—	श्री सी.एस.बनौधा	उप निदे.,प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव सचिव सार्व.उ0वि0	सदस्य
7—	सुश्री यशु रुस्तमी	विशेष सचिव, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त	सदस्य
8—	श्री पी.सी. पाण्डेय,	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि ल0वि0प्राधिकरण	सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :—

विषय सूची

मद सं0	विषय	निर्णय
245/1	परिषद की 244वीं बैठक दि0 11.12.2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 244वीं बैठक दि0 11.12.17 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
245/2	परिषद की 244वीं बैठक दिनांक 11.12.17 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 244वीं बैठक दि0 11.12.17 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। परिषद द्वारा निम्नवत निर्देश भी दिये गये— (i) वित्त नियंत्रक से अपेक्षा की गयी कि पूर्व वर्षों के लेखे मा0 सदन के पटल पर शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करें। लम्बित बैलेन्सशीट तथा उस पर शासन के अनुमोदन की स्थिति से अवगत कराया जाय। (ii) ई.डब्लू.एस. एण्ड एल.आई.जी. वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नीति में संशोधन सम्बन्धी शासनादेश दिनॉकित 24.10.2016 में की गई व्यवस्थानुसार 10.00 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में आवासीय ईकाई की सीलिंग कास्ट 20 प्रतिशत अधिक हो सकती है। इस प्राविधान के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में ए.एच.पी. कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत निर्मित होने वाले भवनों के सीलिंग कास्ट पर पुनर्विचार हेतु शासन से अनुरोध करने के निर्देश मुख्य अभियन्ता को दिये गये।

		(iii) परिषद की अनिस्तारित सम्पत्तियों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रस्तुतीकरण करने की अपेक्षा की गयी।

वित्त एवं लेखा

245/3	वित्तीय वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु प्रस्तावित आय–व्ययक की व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस अभ्युक्ति के साथ अनुमोदित किया गया लेखा मैनुअल बनाया जाय, लेखा प्रणाली को कम्प्यूटराईज्ड किया जाय, आंतरिक सम्परीक्षण आउटसोर्स किया जाय। यह कार्यवाही आगामी तीन माह में पूर्ण कर परिषद को अवगत कराया जाय।

प्रशासन अनुभाग

245/4	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में विधि परामर्शदाता की नियुक्ति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। साक्षात्कार हेतु आवास आयुक्त की अध्यक्षता में वित्त नियंत्रक एवं सचिव की समिति गठित की जाये। विधि परामर्शदाता के अनुभव में सेवा में रहते हुए परामर्शी के रुप में किये गये कार्य को भी सम्मिलित किया जाय।
245/5	परिषद कार्मिकों को दिनांक 01.07.2017 से 5% तथा दिनांक 01.01.2018 से 7% बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
245/6	सीधी भर्ती उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराये जाने हेतु सम्पत्ति प्रबन्ध सेवा विनियमावली–1984(यथा संशोधित 2013) में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति .से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि विनियम 14 का प्रस्तर–4 भी संशोधित नियम में सम्मिलित किया जाय।
245/7	परिषद के पेंशनरों को दिनांक 01.07.2017 से देय वेतन बैण्ड में वेतन तथा अनुमन्य ग्रेड वेतन के योग का 139% प्रतिशत महगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
245/8	सहायक अभियन्ता पद पर सीधी भर्ती के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त आवेदकों का आवेदन शुल्क वापस किये जाने का निर्णय लिया गया और टी0सी0 एस0 के भुगतान के संबंध में पूर्व में परिषद व टी0सी0एस0 के बीच निष्पादित अनुबन्ध पर विधिक राय लेते हुए प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
245/9	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद असिस्टेन्ट इन्जीनिर्यस सर्विस रेगुलेशन्स–1973 (यथा संशोधित के भाग–III एवं भाग–V में संशोधन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुशासनिक अनुभाग

245/10	श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी, तत्कालीन सहायक आवास आयुक्त, सम्प्रति सेवानिवृत्त उप आवास आयुक्त के विरूद्ध अनुशासनिक /विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

245/11	वृन्दावन योजना संख्या–1, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम–उतरठिया के खसरा संख्या–40 पर मा0 निदेशक मण्डल की 240वीं बैठक दिनांक 21.12.2016 के मद संख्या–240/30 पर लिये गये निर्णय के संबंध में।	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनॉक 21.11.2017 में की गयी संस्तुति पर सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त मा. परिषद की 240वीं बैठक दिनॉक 21.12.2016 के मद संख्या 240/30 पर लिये गये निर्णय को निरस्त करते हुए भूमि को नियमानुसार निस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया।
245/12	वृन्दावन योजना संख्या–2, भाग–1, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम उतरठिया के खसरा संख्या–424 की भूमि के संबंध में।	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनॉक 08.01.2018 में की गयी संस्तुति पर सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त भूमि का नियोजन कर नियमानुसार निस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

245/13	परिषद योजनाओं में भवनों/भूखण्डों से लगी अतिरिक्त भूमि के निस्तारण के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया किया गया।
245/14	परिषद योजनाओं में आवंटित शैक्षिक भूखण्डों के आवंटन के पश्चात् आवंटी संस्था द्वारा आवंटन निरस्त किये जाने के अनुरोध पर परिषद द्वारा जब्त की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन को संदर्भित किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया।
245/15	आम्रपाली योजना, लखनऊ स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0 ई–2/काम–2ए (पेट्रोल पम्प) से सम्बन्धित रिट याचिका संख्या–27463/2017 सूरज श्रीवास्तव व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य प्रमुख सचिव आवास, उत्तर प्रदेश शासन व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.11.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।	मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 15.11.2017 के अनुपालन में मा0 निदेशक मण्डल की बैठक दिनॉक 11.12.2017 में यह प्रस्ताव हुआ कि :– योजना में किसानों द्वारा बीच–बीच में छुट–पुट प्रदर्शन किये जाते थे परन्तु याचीगणों द्वारा यह कहना कि उनके द्वारा निर्माण प्रारम्भ करने का प्रयास किया गया और उन्हें निर्माण कार्य करने से रोका गया, निराधार है क्योंकि याचीगणों के द्वारा मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी कोई भी कार्यवाही परिषद से स्वीकृत नहीं करायी गई और न ही सम्बन्धित विभागों से अनापत्तियॉ प्राप्त कर प्रस्तुत की गई। इस प्रकार याचीगण निर्माण कार्य करने हेतु मानचित्र स्वीकृति के अभाव में अर्हता नहीं रखते थे।

		उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव पर मा0 निदेशक मण्डल द्वारा 244वीं बैठक दिनॉक 11.12.2017 के मद संख्या 244/11 पर निम्नवत निर्णय लिया गया :- सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह मत स्थिर हुआ कि प्रकरण का पुनः परीक्षण करके सुस्पष्ट प्रस्ताव आगामी बैठक में रखा जाये। मा0 परिषद द्वारा लिये गये निर्णय पर पुर्नपरीक्षण कराया गया। प्रश्नगत पेट्रोल पम्प हेतु आवंटित भूखण्ड के सामने से सटकर 1.7 मी0 चौडा ट्रंक नाला निकल रहा है तथा नाले के सामने सर्विस रोड है जिसके 6.0 मी0 पक्की रोड व नाले से सटी हुई 9.80 मी0 सटी कच्ची पटरी है तथा सर्विस रोड के बाद इससे रोड के मुख्य भाग में स्थित सेन्ट्रल वर्ज तथा मेटल रोड की चौड़ाई 12.50 है। नाले से आवंटी को कोई बाधा नहीं है। जब मानचित्र स्वीकृत हो जायगा तब आवागमन के लिए नाले के ऊपर स्लैव परिषद द्वारा बना दिया जाएगा। पेट्रोल पम्प के अनुमोदन हेतु नाला बाधा नहीं है क्योंकि दूसरी पेट्रोलियम द्वारा इसी परिस्थिति में अनुमति प्रदान की गई है। याची गणों को आवंटित भूखण्ड पर निर्माण करवाना होता तो मानचित्र स्वीकृति हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया होता तथा सम्बन्धित विभागों से प्राप्त अनापत्तियॉ प्रस्तुत की गंयी होती लेकिन याचीगणों द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन न करना इस तथ्य का द्योतक है कि याचीगणों को मौके पर निर्माण कार्य कराने का कोई आशय ही नहीं है, इसलिए यह कहना की किसान आन्दोलन के कारण याची का निर्माण कार्य न कर पाये औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया। इसके दृष्टिगत याचीगण इस बिन्दु पर किसी प्रकार के अनुतोष के पात्र नहीं पाये गये। उपरोक्त स्थितियों के दृष्टिगत सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त यह मत स्थिर हुआ कि याचीगणों को आवंटित भूखण्ड के विरूद्व अधिरोपित ब्याज/दण्ड ब्याज की धनराशि माफ किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रश्नगत भूखण्ड के विरूद्व दिनॉक 31.05.2018 तक ब्याज/दण्डब्याज सहित कुल देय अवशेष धनराशि रू. 79,56,732.00 है। आवंटी द्वारा नियमानुसार भुगतान करने एवं मानचित्र स्वीकृति कराने की स्थिति में पेट्रोल पम्प संचालन के लिए

		नाले पर आवागमन की सुविधा हेतु पुलिया का निर्माण परिषद द्वारा कराया जायेगा। मा० परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मा० उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 27463/2017 श्री सूरज श्रीवास्तव व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 15.11.2017 के समादर में याचीगणों का प्रत्यावेदन उपरोक्तानुसार निस्तारण हेतु अपर आवास आयुक्त एवं सचिव को अधिकृत किया जाता है।
245/16	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की उत्तराखण्ड राज्य में स्थित परिसम्पत्तियों के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

मुख्यालय वृत्त

245/17	परिषद द्वारा अवध विहार योजना, लखनऊ में निर्मित अवध शिल्पग्राम में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं हेतु निर्धारित किराये की दरों में संशोधन तथा इनके संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्था का सृजन।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा संचालन हेतु एजेंसी चिन्हित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अभियन्त्रण अनुभाग

245/18	मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में निर्माणाधीन 1856 नग बहुमंजिले भवनों में नगण्य पंजीकरण होने के दृष्टिगत परियोजना का कार्य सीमित किये जाने हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। परिषद द्वारा बिना मांग के फ्लैटस के निर्माण कराये जाने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण करने की भी अपेक्षा की गई।

लखनऊ जोन

245/19	वृन्दावन योजना संख्या–2, भाग–2 एवं योजना संख्या–3, लखनऊ में स्थित 30.00 मीटर चौड़ी पेरिफेरियल सड़क पर स्थित निर्माण के समायोजन के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल की 244वीं बैठक दिनॉक–11.12.2017 के मद संख्या 244/19 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में 04 भूखण्ड आरक्षित/आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस आशय से अनुमोदित किया गया कि 04 आवंटियों के लिये 09 भूखण्डों में से लाट्री द्वारा चयन किया जाय।

अनुशासनिक अनुभाग

245/20	श्री बी0एस0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता (सेवानिवृत्त तिथि 30.04.2017) एवं श्री आर0के अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता (सेवानिवृत्त .तिथि 30.09.2016) के विरूद्ध अनुशासनिक/ विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत गठित विभागीय जांच में प्राप्त अधिकारी की जांच आख्या पर निर्णय लिए जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जॉच रिर्पोट की कापी संबंधित को भेजकर उनका अभ्यावेदन प्राप्त किया जाये। यदि परिषद को वित्तीय क्षति हुयी है तो उस क्षति की रिकवरी के लिए नियमानुसार संसूचित किया जाये।

245/21	श्री जय शंकर पाण्डेय, तत्कालीन लेखाकार सम्प्रति अनिवार्य सेवानिवृत्त लेखाकार के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत विभागीय जांच गठित करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

245/22	परिषद योजनाओं में आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों के नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदक से बैंक ड्राफ्ट/एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से धनराशि प्राप्त किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
245/23	परिषद की स्ववित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निर्मित फ्लैट के परिवर्तन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस अभ्युक्ति के साथ कि वांछित एन्क्लेव/तल परिवर्तन हेतु अन्तर की धनराशि, आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि पर फ्लैट के मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाय तथा प्रार्थना-पत्र प्राप्ति के एक माह की समय-सीमा में निर्णय किये जाने के साथ अनुमोदित किया गया।
245/24	परिषद योजनाओं में 03 वर्ष से अनिस्तारित अनावासीय/ग्रुप हाउसिंग सम्पत्तियां जिनका मूल्य रु0 5.00 करोड़ तक या उससे अधिक की सम्पत्तियों का निस्तारण ई-टेंडरिंग के माध्यम से निस्तारण हेतु परिषद एवं एम.एस.टी.सी. के मध्य होने वाले एम0ओ0यू0 के सापेक्ष निस्तारण के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

245/25	परिषद की कबीर नगर योजना, वाराणसी के आराजी सं0-2298 भदैनी पर हुए अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त स्थगन के सम्बंध में प्रकरण को शासन संदर्भित किया जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
245/26	इन्दिरा नगर लखनऊ के डी-ब्लाक में स्थित स्कूटर गैराज संख्या-जी-1/2,3,4,5 एवं 6 की भूमि पर आवासीय निर्माण हेतु भूमि उपयोग परिवर्तन।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस निर्देश के साथ अनुमोदित कि प्रश्नगत स्थल पर व्यावसायिक गतिविधियां न की जाय।
245/27	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011) में संशोधन 2016 के प्रस्तर-26.1(ii) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत परिषद योजनाओं के चिन्हांकन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
245/28	श्री करन महाना, निदेशक, के0वी0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, प्रा0लि0 के पी0डब्लयू0डी0 हाउसिंग सोसाईटी, केशवपुरम् योजना सं0-1, कानपुर में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0: GH/Ar-41/7B,10,11 को व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

ग्लोबल कन्सट्रक्शन एण्ड कन्सल्टेन्सी सेल

245/29	डिपाजिट कार्यों में Expression of Interest के माध्यम से निर्धारित स्कीप ऑफ वर्क के लिये विभिन्न श्रेणी हेतु स्वीकृत दरों एवं शर्तों पर आर्कीटेक्ट/कन्सल्टैन्ट के पैनल को बढाये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अभियन्त्रण अनुभाग

245/30	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–7ए में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत प्रस्तावित 992 नग जी+3 प्रकार के भवनों का निर्माण कार्य।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
245/31	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–10बी में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत प्रस्तावित 2128 नग जी+3 प्रकार के भवनों का निर्माण कार्य।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
245/32	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–3 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत प्रस्तावित 960 नग जी+3 प्रकार के भवनों का निर्माण कार्य।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
245/33	परिषद की लखनऊ स्थित वृन्दावन योजना संख्या–1, योजना संख्या–2 (भाग–1), योजना सं0–2, भाग (2) की समस्त विकास सेवाओं तथा योजना सं0–3 के सेक्टर–11 व 12 की पथ प्रकाश व्यवस्था तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं सफाई व्यवस्था आदि सेवाओं का स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मूल्यांकन अनुभाग

245/34	सम्पत्तियों विशेष (फ्लैट्स) के प्लॉट पर भूमि दर स्थिर रखने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

बरेली जोन

245/35	नगर निगम कार्यालय भवन हेतु मझोला योजना संख्या–4 भाग–2, मुरादाबाद के सेक्टर–9ए में नगर निगम मुरादाबाद को उपलब्ध कराई गयी भूमि के विरूद्ध देय धनराशि का समयान्तर्गत भुगतान न किये जाने के कारण देय ब्याज को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त आगणित व्याज का प्रकरण शासन (आवास विभाग) को संदर्भित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रशासन अनुभाग

245/36	परिषद में कार्यरत वाहन चालकों को षष्टम् वेतनमान के अनुसार एक माह के मूलवेतन के बराबर अनुमन्य मानदेय की भॉति सप्तम्	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	वेतन मैट्रिक्स की संस्तुतियों के अनुरूप निर्धारित मूलवेतन के अनुसार मानदेय अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।	
245/37	परिषद के पेंशनरों को दिनांक 01.01.2018 से देय वेतन बैण्ड में वेतन तथा अनुमन्य ग्रेड वेतन के योग का 142% मंहगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

245/38	गोण्डा–फैजाबाद मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गोण्डा के अन्तर्गत नियोजन समिति की संस्तुतियों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
245/39	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना), लखनऊ में समाविष्ट ग्राम घुसवलकलां, पाकेट–1 खसरा सं0 306 कुल रकबा 0.566 हे0 भूमि में से नियोजन समिति द्वारा अर्जुनमुक्त की गयी 0.466 हे0 भूमि को आसुधार शुल्क लेकर समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
245/40	परिषद की लोनी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गाजियाबाद की समितियों के भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

लखनऊ जोन

245/41	रिट याचिका संख्या 8963/2018 ताहिर हुसैन आबदी एवं रिट याचिका सं0–8905/2018 नायब हुसैन आबदी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयात्मक आदेश दिनांक 29.03.2018 के अनुपालन में वृन्दावन योजना लखनऊ में अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत भूमि दिये जाने से जाने के सम्बन्ध में।	मा. उच्च न्यायालय के आदेश के दृष्टिगत समिति का प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

सम्पत्ति अनुभाग

245/42	सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर–7 एवं 10 स्थित ब्रम्हपुत्र एन्क्लेव के स्व–वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निर्मित 2016 नग भवनों के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस अभ्युक्ति के साथ अनुमोदित किया गया कि आवेदकों से दोनों विकल्प में से किसी एक पर सहमति मांगकर कार्यवाही की जाय।

भूमि अर्जन अनुभाग

245/43	वृन्दावन योजना संख्या–2 भाग–1, लखनऊ में स्थित ग्राम–हैवतमऊ मवैया के खसरा संख्या–2218 की 120.00 वर्गमी0 भूमि पर श्री रामखेलावन द्वारा किये गये अवैध निर्माण को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत भूमि की देयता 287.50 वर्गमी0 में समायोजित करने एवं शेष बची भूमि की देयता को अन्य प्रस्तावित सेक्टर में आवंटन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव के पुनर्परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
245/44	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	

अनुमोदित

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अध्यक्ष